R.P
1065

सत्यमेव जयते

खंड ३ संख्या १

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

बुधवार, तिथि २ सितम्बर, १९५३

Vol. III. No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Wednesday, the 2nd September, 1953.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित ।
१९५४

[मूल्य—६ आना ।]
[*Price—Annas 6.*]

फिर भी पहली श्रेणी के मामले पुनरीक्षण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे यदि दोनों सिफारिशों का पारस्परिक भेद २५ परसेन्ट से अधिक हो गया हो और वे जिलाधीशों के पास जांच और रिपोर्ट के लिये भेजे जा चुके हों।

भारती प्रेस (पुरुलिया) द्वारा आपत्तिजनक प्रकाशन।

३८५। श्री आनन्द प्रसाद चक्रवर्ती—क्या सूचना तथा प्रचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि भारती प्रेस, पुरुलिया की श्रीमती शैलवाला देवी प्रेस बन्द करने के लिये मजबूर की गईं, क्योंकि उन्होंने एक "संग्राम" नाम का आपत्तिजनक पर्चा छापा था जिसके लिये जिसकी जमानत देने में असमर्थ थीं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पर्चा अन्त में पटना हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट द्वारा "आपत्तिजनक" नहीं माना गया;

(ग) क्या यह सही है कि स्वामी असीमानन्द सरस्वती के विजय कृष्ण आश्रम के विद्यालय, औषधालय आदि के निर्वाह का एकमात्र जरिया केवल प्रेस की आमदनी थी;

(घ) क्या यह सही है कि प्रेस के कुछ दिनों से बन्द हो जाने से उपर्युक्त संस्थाओं को पर्याप्त आर्थिक क्षति उठानी पड़ी;

(ङ) यदि खंड (ख) (ग) और (घ) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार श्रीमती शैलवाला देवी को नाजायज तरीके से तंग करने और प्रेस के बन्द हो जाने तथा मुकदमा लड़ने के कारण हुई क्षति की पूर्त्ति करने का विचार करती है;

(च) मुकदमें में सरकारी रुपये की बरबादी के लिये कौन उत्तरदायी हैं, उसके बारे में विचार के लिये सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करना चाहती है?

श्री महेश प्रसाद सिंह—(क) सरकार ने प्रेस को जमानत देने का आदेश दिया। भारती प्रेस की मालकिन श्रीमती शैलवाला देवी ने जमानत न देना ही पसन्द किया और उन्होंने सरकार को सूचना दी कि वह प्रेस बन्द करने जा रही हैं।

(ख) पटना हाईकोर्ट ने पर्चे को "आपत्तिजनक" माना; यद्यपि बाद में इसे सुप्रीमकोर्ट ने "प्रेस इमरजेंसी पावर्स" ऐक्ट, १९५१ की धारा ४ (१) (ए) के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं पाया।

(ग) सरकार को जानकारी नहीं है।

(घ) सरकार को जानकारी नहीं है।

(ङ) नहीं, महाशय।

(च) सरकार इस बात को नहीं मानती है कि चूंकि सुप्रीमकोर्ट ने सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया है इसलिये सरकार को प्रेस से जमानत मांगने या मुकदमा लड़ने में अनुचित क्षति उठानी पड़ी है।